5. यह की आवेदक अपनी भूमि में जाने के लिए उनकी भूमि में से ट्रैक्टर निकालता आ रहा है किंतु इस घटना के बाद अब वह अपने खेतों या मेलों से उसके खेत में जाने के लिए ट्रैक्टर बैलगाड़ी नहीं ले जाने दे रहे हैं जिससे वह अपना कृषि कार्य करने से वंचित हो रहा है।

6. यही कि आवेदक ग्राम में स्थित कुआ से पानी लाकर अपना निस्तर करता है जिसमें आज उनके द्वारा रोक लगा दी गई है और उसके बच्चे पानी लेने के लिए गए हुए थे जिन्हें पानी ले जाने से मना कर दिया गया है ऐसी परिस्थिति में आवेदक का उस ग्राम में जीवन यापन करना कठिन हो रहा है।

7. यह की ग्राम रामपुरी के गोपाल आदिवासी के यहां गंगा जली का कार्यक्रम था जहां पर आवेदक प्रार्थी उसके बुलाए जाने पर गया हुआ था परंतु अनावेदक गणों द्वारा गोपाल आदिवासी के यहां जाकर कहा गया कि यदि तुमने इस व्यक्ति को अपने यहां बुलाया और रोटी पानी कराई तुमको भी गांव से एवं समाज से बंद कर दिया जाएगा इस तरह से आवेदक को हर तरह से प्रताड़ित व परेशान किया जा रहा है।

माननीय महोदय जी से विनम्र प्रार्थना है कि अन आवेदक गणों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए भारतीय दंड विधान के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किए जाने की दया हो।

दिनांक

प्रार्थी आवेदक

स्थान घंसौर।

ओमकार यादव ग्राम रामपुरी

7804011512

नहीं होते हो यदि तुम 21,000/- रूपये अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करोगे तो तुम्हे जाति समाज से बंद कर दिया जायेगा।

3. यह कि, आवेदक एवं श्यामलाल के बीच पिछले वर्ष विवाद हुआ था और श्यामलाल ने शराब पीकर आवेदक की पत्नी एवं उसकी मां कल्लू बाई के साथ मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र घंसौर में किया था इस कारण आवेदक एवं श्यामलाल के बीच बातची न होने के कारण वह उसके लड़के के गंगाजली के कार्यक्रम में नहीं गया था।

4. यह कि, अनावेदकगण ग्राम के गुंडाप्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तथा आवेदक के खेत के कुंऐ का निर्माण कार्य चल रहा हैं जिस पर उस पर कार्य करने वाले मिस्त्री एवं मजदूरों को अनावेदकगणों ने काम करने से मना कर भगा दिया गया, तथा आवेदक की भूमि में टेक्टर निकलता आ रहा हैं, परन्तु उसके टेक्टर को वहां से उसे निकलने नहीं दे रहे हैं जिससे उसके कृषि कार्य में बाधा पड़ रही हैं तथा कुंऐ से पानी लाने में भी बंद कर दिया हैं। जिससे उसके बच्चें पानी के लिये तरस रहे हैं तथा आवेदक का ग्राम में जीवन यापन करना काफी कठिन हो गया हैं।

5. यह कि, अनावेदकगण एक जुट होकर आवेदक के साथ नियम विरूद्ध कार्यवाही कर रहे हैं जिससे उसका एवं उसके परिवार का जीवन कष्टमय हो गया हैं ।

अतः माननीय महोदय जी से निवेदन है कि आवेदक के आवेदन पर जांच कराया जाकर अनावेदकगणों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।

ओमकार

आवेदक

मो.नं. 7804011512

सिवनी,

दिनांक ....

समक्षः– श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय

आवे.क. :– [illegible] जन सुनवाई प्रस्तुत दिनांक

ओमकार यादव पिता गोपाल यादव उम्र 35 वर्ष
निवासी ग्राम रामपुरी थाना तहसील घंसौर,
जिला सिवनी म.प्र. ———————————— आवेदक

विरूद्ध

1. रीझनलाल यादव पिता रूपलाल यादव उम्र 60 वर्ष,
2. बलीराम यादव पिता पंचम यादव उम्र 60 वर्ष
3. श्यामलाल यादव पिता गिरानी उम्र 60 वर्ष
4. पंचमलाल यादव पिता रामसिंह यादव उम्र 23 वर्ष
5. सब्बूराम यादव पिता तीरथ यादव उम्र 37 वर्ष
6. दिलीप यादव पिता सुभाष यादव उम्र 23 वर्ष
7. सुभाष यादव पिता ब्रजलाल यादव उम्र 45 वर्ष
8. गोरेलाल यादव पिता कौड़ीलाल यादव उम्र 60 वर्ष

सभी निवासी ग्राम रामपुरी थाना तहसील घंसौर
जिला सिवनी म.प्र. ———————————— अनावेदकगण

<u>अनावेदकगणों द्वारा आवेदक को जाति समाज से बंद किये जाकर जुर्माने की राशि 21,000/– मांगे जाने बाबद शिकायत।</u>

आवेदक निम्न विनय प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि, आवेदक उपरोक्त पते का स्थाई निवासी एवं कृषि मजदूर हैं।

2. यह कि, रामपुरी के श्यामलाल यादव के पुत्र की गंगाजली का कार्यक्रम वर्ष 2022 में रखा गया था जिसमें आवेदक किसी कारणवश उपस्थित नही हुआ था, इस बात को लेकर अनावेदकगणों ने आवेदक को जाति समाज से यह कहकर बंद कर दिया कि तुम जाति समाज के कार्यक्रम में जानबूझकर उपस्थित

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी

थाना घंसौर जिला सिवनी मध्य प्रदेश

ओमकार यादव पिता गोपाल यादव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम रामपुरी थाना घंसौर जिला सिवनी मध्य प्रदेश.......... प्रार्थी /आवेदक

विरुद्ध

1. रीझन लाल यादव पिता रूपलाल उम्र 60 वर्ष
2. बलिराम यादव पिता पंचम लाल यादव उम्र करीब 60साल
3. श्याम लाल यादव पिता गिरानी उम्र 60 वर्ष
4. पंचम लाल यादव पिता राम सिंह यादव उम्र 23 वर्ष
5. सब्बूराम यादव पिता तीरथ उम्र 37 वर्ष
6. दिलीप यादव पिता सुभाष यादव उम्र करीब 23 वर्ष
7. सुभाष यादव पिता बृजलाल यादव उम्र 45 वर्ष
8. गोरेलाल यादव पिता कोड़ी लाल यादव उम्र करीब 60 वर्ष

विषय/शिकायत पत्र वास्ते ग्राम रामपुरी के यादव समाज द्वारा आवेदक प्रार्थी को समाज से बंद किए जाने एवं अर्थदंड बतौर 21000 की मांग किए जाने बाबत।

महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि,

1. यह की प्रार्थी आवेदक ग्राम रामपुरी तहसील घंसौर थाना घंसौर जिला सिवनी मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी है एवं कृषक है जो मजदूरी आदि कार्यक्रम अपने परिवार का पालन पोषण करता है।

2. यह की ग्राम रामपुरी के श्याम लाल यादव के पुत्र की गंगा जली का कार्यक्रम वर्ष 2022 में रखा गया था जिसमें आवेदक प्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ था इसी बात को लेकर कि तुम गंगा जली के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए और तुमको समाज से बंद करते हुए अर्थदंड ₹21000 देना होगा अन्यथा तो मैं गांव से कम समाज से बंद कर दिया जावेगा।

3. यही कि आवेदक एवं श्याम लाल यादव के बीच पिछले वर्ष वाद विवाद हुआ था और श्यामलाल ने शराब पीकर जबरन गाली गलौज कर उसकी पत्नी अनीता बाई एवं उसकी मां कल्लू बाई के साथ मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट f.i.r. थाना घंसौर में दर्ज कर मामला कायम किया गया था इसी कारण दोनों परिवारों के बीच बोला चली आना जाना बंद था और इसी कारण उसके यहां गंगाजली कार्यक्रम में वह नहीं गया था।

4. यह कि आवेदक अपने खेत में कुएं के निर्माण का कार्य कर रहा है जिस पर लेबर एवं मिस्त्री कार्य कर रहे हैं जिसे अनावेदक गण द्वारा काम करने के लिए मना किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम यदि काम करोगे तो तुमको भी गांव एवं समाज से बंद कर दिया जाएगा इस डर के कारण ना तो लेबर और ना ही मिस्त्री अब उसके यहां काम करने [illegible] वह बहुत ज्यादा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित [illegible]

Received

[stamp] 8/5/2023